

25

भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में "सफाई परिचारक" पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर  
सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.जा. सं. एवी.  
14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में "सफाई  
परिचारक" के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिक पणधारक गिनियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुटिप्प/  
भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से दिनों की अवधि के भीतर 30अनुभाग अधिकारी  
(एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महाविदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई  
दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या [medicalhospital61@gmail.com](mailto:medicalhospital61@gmail.com) पर ईमेल -  
कर सकते हैं।

श्री. सामंत  
(जी.पी. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष-011 : 23061521

नई दिल्ली  
दिनांक :

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, तारीख ..... 2019

सा.का.नि. ....राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज व श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, (समूह 'घ', पद) भर्ती नियम, 1979 जहाँ तक उनका संबंध सफाईवाला/ सफाईवाली के पद से है, को तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज व श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, प्रधान सफाईवाला/ सफाईवाली (समूह 'घ', पद) भर्ती नियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज व श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, में सफाई परिचारक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज व श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, सफाई परिचारक, भर्ती नियम, 2019 है ।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि - भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
4. निरर्हता - वह व्यक्ति -  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;  
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :  
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।
5. शिथिल करने की शक्ति - जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन में स्तर अथवा वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सफाई परिचारक	252* (2019) सफाईवाला -125 पद सफाईवाली- 127 पद	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसूचित	वेतन में मैट्रिक्स स्तर 1 (रु.18000-56900)	लायू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच।  (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (10वीं) कक्षा उत्तीर्ण।  टिप्पण-1 नियुक्ति के पश्चात अस्पताल द्वारा मरीज स्वच्छता देखभाल सेवाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा।  टिप्पण-2 अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किन्हीं प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधे भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति सीमित है, तो उसकी संरचना

	(12)		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
			(13)
			लागू नहीं होता।
<b>समूह 'ग' पुष्टि सभिति:</b>			
1.	अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल अस्पताल, नई दिल्ली	-	अध्यक्ष
2.	उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल अस्पताल, नई दिल्ली	-	सदस्य
3.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल अस्पताल का प्रशासनिक कार्य देखने वाले उप निदेशक	-	सदस्य
4.	उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल अस्पताल, नई दिल्ली	-	सदस्य

[ए. 11018/16/2019-एम्.एच. II]

(जी. पी. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार